पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 608/2022
में
दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या -807/2018

==========

1. कामता प्रसाद मंडल, पिता-स्व0 सत्य नारायण मंडल, निवासी- ग्राम- महिसारी, थाना- सिंघवारा, जिला-दरभंगा।

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन पटना, के माध्यम से।
2. प्रमुख निर्देशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना।
3. जिलाधिकारी, दरभंगा, लहेरियासराय, दरभंगा।
4. सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दरभंगा।
5. जिला मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा।

... ... प्रत्यर्थी/ओं

==========

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से : श्री धिरेन्द्र नारायण मलिक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री एस0 डी0 यादव एएजी -9

==========

सेवा कानून—नियुक्ति—अपीलकर्ता को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था—अपीलकर्ता की क्लास-IV पद पर अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए की गई मांग को प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि अपीलकर्ता नियमितीकरण की शर्तों को पूरा नहीं करता है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी(3) के मामले में निर्धारित किया है —अपीलकर्ता ने कुल 1092 दिनों तक काम किया है—नियुक्ति एक खुली विज्ञापन के बाद

नहीं हुई और न ही अपीलकर्ता एक स्वीकृत पद के खिलाफ काम कर रहा था—अपील खारिज की गई।

(पैरा 6 से 8)

*(2006) 4 एससीसी 1—**संदर्भित किया गया** ।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी।

मौखिक निर्णय

(प्रति- माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

दिनांक-03-07-2024

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह तात्कालिक अपील सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 807/2018 में पारित दिनांक 06.09.2022 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

3. अपीलकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि 03.08.1988 को दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा ब्लॉक में दैनिक मजदूरी पर डीडीटी स्प्रेयर के रूप में नियुक्त होने के बाद, अपीलकर्ता ने 24 वर्षों तक उक्त क्षमता में काम करना जारी रखा। उसे प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जब उसे नियमित नहीं किया गया, तो अपीलकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6191/2005 में इस न्यायालय का रुख किया। रिट आवेदन को 10.07.2006 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ निपटाया गया कि अपीलकर्ता अपनी नियुक्ति/चयन के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। तदनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष कदम उठाया, जिसे 24.07.2013 के

आदेश (रिट आवेदन के अनुलग्नक-8) द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके कारण रिट आवेदन दायर किया गया। रिट आवेदन खारिज होने के बाद, वर्तमान अपील पेश की गई है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता *सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) [(2006) 4 एससीसी1]* के मामले में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है और अपीलकर्ता का मामला अन्य व्यक्ति के समान है जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया है।

5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उस आदेश में कोई अवैधता नहीं है जिसके तहत अपीलकर्ता की अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना को रिट आवेदन में आरोपित अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता का मामला उमादेवी (3) (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अंतर्गत नहीं आता है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि न तो अपीलकर्ता को स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था और न ही उसने लगातार 10 वर्षों तक काम किया है। इसी तरह की स्थिति वाले डीडीटी स्प्रेयर का मामला, जो अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा कर रहे थे, एलपीए संख्या -1059/2013 में पारित दिनांक 22.11.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, में उल्लिखित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सिविल) संख्या 7448/2014 में पारित अपने आदेश दिनांक 09.01.2015 में इसकी पुष्टि की है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यो का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि विवादित तथ्य यह नहीं है कि अपीलकर्ता 03.08.1988 को दैनिक वेतन पर नियुक्त होने के पश्चात मौसमी आधार पर डीडीटी स्प्रेयर के रूप में काम करने लगा। वह 1988 से 2011 तक हर साल छोटी अवधि के लिए काम करता रहा, जिसका विवरण विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के पैरा संख्या 5 में दिया गया है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के दावे का संबंध है, उसे स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 24.07.2013 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता उमादेवी (3) (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सेवा के नियमितीकरण की शर्तों को पूरा नहीं

करता है। इसमें कहा गया था कि भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके तंत्रों को एक बार के उपाय के रूप में अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पद पर 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों के आदेशों की आड़ में नहीं।

7. जहां तक अपीलकर्ता के मामले का सवाल है, जिला मलेरिया अधिकारी, दरभंगा द्वारा जारी दिनांक 16.3.2012 के प्रमाण पत्र से, जिसे अपीलकर्ता ने रिट आवेदन के अनुलग्नक-9 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया है, 1988 और 2011 की अवधि के बीच, मौसमी रूप से नियोजित होने पर, अपीलकर्ता ने कुल 1092 दिनों की अवधि के लिए काम किया है। इसके अलावा प्रतिवादियों के मामले के अनुसार, नियुक्ति किसी खुले विज्ञापन के बाद नहीं हुई थी और न ही अपीलकर्ता स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहा था।

8. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, न्यायालय को तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है और इसे खारिज किया जाता है।

(के. विनोद चन्द्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

बिभाष

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।